



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2013/11057-1139० लखनऊ: दिनांक: ०६ अगस्त, 2013

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त संस्थाएं।

विषय- प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या: दिनांक 28.06.2013 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या: 1-15/2009(Anti Ragging Cell), दिनांक 28.06.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि उक्त पत्र में उल्लेखानुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिये गये हैं :-

1. रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थाओं की है। प्रत्येक संस्था स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के सभी सम्भव उपाय सुनिश्चित किये जाएं। रैगिंग की कोई घटना घटित होने पर संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी।
2. सभी संस्थाओं में एन्टी रैगिंग कमेटी गठित होनी चाहिए तथा कमेटी द्वारा रैगिंग रोकने के लिए संस्थाओं के सभी महत्वपूर्ण (Strategic) स्थानों यथा कैंटीन, छात्रावास, भवन के कारिडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाए, जिससे रैगिंग की घटना की सम्भावनाएं पूर्णतया समाप्त हो जाएं।
3. सभी संस्थाओं में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों को होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाए, ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधान सभी के संज्ञान में आ सकें तथा रैगिंग रोकने में सहायता मिल सके। प्रत्येक संस्था से अपेक्षा की गयी है कि वह अपने यहाँ रैगिंग के संबंध में हेल्पलाइन तत्काल शुरू करें।
4. छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के संबंध में विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे शपथ पत्र प्राप्त किए जाएं ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकें।
5. समस्त संस्थाएं रैगिंग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। निदेशक द्वारा संस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए ताकि रैगिंग की घटनाएं बिल्कुल न हों।
6. समस्त संस्थाओं के प्रवेश द्वार तथा मुख्य स्थलों पर रैगिंग रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए होर्डिंग लगाये जाएं।
7. जिन संस्थाओं में पर्याप्त हास्टल नहीं है, वहाँ छात्रों को यथा सम्भव हास्टल की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाए तथा परिसर से बाहर रह रहे छात्रों के आवासों एवं आस पास का स्थान का संस्थान की एन्टी रैगिंग दस्ते द्वारा निरीक्षण करते हुए वहाँ छात्रों की सुविधा एवं आपसी माहौल को निरन्तर चेक किया जाए ताकि परिसर के बाहर भी रैगिंग की घटना न हो सके।
8. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, अतएव अगले 03 माह रैगिंग की रोकथाम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में रैगिंग के संबंध में यदि संस्था के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्संबंध में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में की गयी कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाए।

उक्त क सदभ म तवश्वावद्यालय द्वारा पूव हा प्रदश म तशक्षण सस्थाओं मे रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या: 821/सोलह-1-2009-1-250/96 : दिनांक 26.03.2009 की प्रति को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: उ0प्र0 प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/46190-46626 दिनांक 28.03.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किए गए दिशा निर्देशों (पत्रांक-एफ-1-16/2007 (सीपीसी-11) दिनांक 17 जून, 2009) की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/11691-17125 दिनांक 09.07.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित की गई।

रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या: 370/04/XJ-A, दिनांक 12 जून, 2009 जो शासन के पत्र सं0 1835/सोलह-1-2009-1-250/96, दिनांक 03 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त हुआ, की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/26742-27431, दिनांक 08 सितम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ-1-16/2009 (सीपीसी-II), माह सितम्बर, 2009 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/41897-42505, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 जो शासन के पत्र सं0 923/सोलह-1-2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त अधिनियम विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/560-1150, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित करते हुए अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश सं0 2336/सोलह-1-2008-1-200/96 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2010 जिसकी प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/18511-19100, दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश के अर्न्तगत संदर्भित शासनादेशों का उल्लेख करते हुए शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा रोकने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 11.7.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों की प्रति भी विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/63220-63858, दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड किये जाने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 F-11/2008(Anti Ragging) दिनांक 04 जुलाई, 2011 की प्रति संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/17250-17845, दिनांक 15.7.2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को डाउनलोड करें तथा शैक्षिक सत्र 2011-12 के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सीनियर तथा जूनियर छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करें। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका निरन्तर अनुवीक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्त डीवीडी युक्त फिल्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2009 के दौरान विद्यमान रैगिंग के जोखिम की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के अनुपालन तथा इस विषय में विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ/1-15/2009 (रैगिंग निरोधक) दिनांक 23 जून, 2011 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011

/17846-18441, दिनांक 15 जुलाई, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 23.6.2011 में उल्लिखित रेगुलेशन्स के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का संस्था स्तर पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या: 560/एस0टी0-टीजी-रैगिंग/2013 : दिनांक 12.7.2013 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2013/8731-9060, दिनांक 10.07.2013 में निर्देशित 26 बिन्दुओं का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के साथ रैगिंग के विषय में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित अवस्थाएं गठित की जाएं और प्ररिप्रेक्ष्य में निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्था में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से विराम सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति, गौ0बु0प्रा0वि0, लखनऊ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव